

नियत की जाती है

7/7/23 पंजाबली पेशा हुई। वादी व वकील वादी
अनुपस्थित। वार? आवज दिलवायी जाने के
उपरान्त भी वादी की ओर से कोई उपस्थित
नहीं। अतः वादी का वादपत्र अफम हाजरी
अफम पैरवी में खारिज किया जाता है। पंजाबली
फैलल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दायिल
होती है।



राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)